

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 30/2025

दायर दिनांक 17.01.2025

वादी

1. फारुक खॉ उर्फ मोहम्मद
फारुक शैरानी जाति शैरानी
निवासी शैरानी आबाद
तहसील छोटी खाटु जिला
डीडवाना- कुचामन,
राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. अजीज खॉ पुत्र कमरुदीन
2. मजीद खान पुत्र कमरुदीन
3. अली मोहम्मद पुत्र सरफुदीन
4. हाजी मोहम्मद पुत्र सरफुदीन
5. अ. क्यूम पुत्र सरफुदीन
6. अफसाना पुत्री सरफुदीन
7. रहिसा पुत्री सरफुदीन
8. आमना खातून पुत्री सरफुदीन
9. नूर मोहम्मद पुत्र स्व. मुख्त्यार खॉ
10. साकिर मोहम्मद पुत्र स्व. मुख्त्यार खॉ
11. शफी मोहम्मद पुत्र मुख्त्यार खॉ
12. मोहम्मद खॉ पुत्र मुख्त्यार खॉ
13. युसुफ अली पुत्र मुख्त्यार खॉ
14. मेहमूद खॉ पुत्र मुख्त्यार खॉ
15. मन्सूर अहमद पुत्र मुख्त्यार खॉ
16. मोहम्मद शरीफ पुत्र मुख्त्यार खॉ
17. फातमा पुत्री मुख्त्यार खॉ
18. जेरा बानों पत्नी मुख्त्यार खॉ
19. मोहम्मद हुसैन पुत्र निजाम खॉ समस्त
जाति शैरानी निवासीगण शैरानी
आबाद तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज.
20. यूको बैंक शाखा शैरानी आबाद
21. तहसीलदार छोटीखाटू

बना
म्

दावा बाबत

बंटवाड़ा, रिकॉर्ड दुरुस्ती, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act. , 136 L.R.Act

उपस्थित:-

1. श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री मो. रफीक वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 12, 14, 15, 17 ता 19 की ओर से

-:: निर्णय ::-

दिनांक 12.02.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां तहसील छोटीखाटू के खेत खसरा संख्या 688 रकबा 1.3800 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 04.08.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।



तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांक: भू.अ./2025/2184 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस

पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/2184 दिनांक 26.12.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां तहसील छोटीखाटू के खेत खसरा संख्या 688 रकबा 1.3800 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/2184 दिनांक 26.12.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है एवं वादी का नाम फारुक पुत्र मोहम्मद कमरुदीन के स्थान पर फारुक खों उर्फ मोहम्मद फारुक शैरानी पुत्र कमरुदीन शैरानी दुरुस्त किया जाता है।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/2184 दिनांक 26.12.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

ikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

ikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना